IMPACT FACTOR 7.50 (SJIAI)
बिहार शोध समागम
BIHAR SHODH SAMAAGAM
Multidisciplinary, Multi-Lingual, Peer Reviewed /Refereed Open Access Journal
Vol. 4, Issue 2, April-june, 2026
Available online : https://www.biharshodhsamaagam.com/
https://doi.org/10.5281/zenodo.21744504
ISSN : 3048-6971

कुशीनगर (उ0प्र0) जनपद में भूमि उपयोग परिवर्तन का एक भौगोलिक अध्ययन

आशुतोष कुमार गुप्ता
शोध छात्र, भूगोल विभाग, श्री गणेश राय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोभी, जौनपुर
डॉ. रवीन्द्र कुमार पाण्डेय
प्रोफेसर, भूगोल विभाग, श्री गणेश राय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोभी, जौनपुर

सारांश

भूमि सभी प्राकृतिक संसाधनो में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, जिस पर मानव के समस्त क्रियाकलाप (सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक) सम्पन्न होते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या मुख्यतः इस संसाधन के दोहन पर आश्रित है। भूमि संसाधन मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा मानव कल्याण के विभिन्न आयामों को प्रभावित करता है। सामान्य अर्थों में भूमि उपयोग एक ऐसी क्रिया है जिसमें भूमि आवरण के माध्यम से धरातल का उपयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में, किसी क्षेत्र की कुल भूमि का विभिन्न कार्यो में किया जाने वाला उपयोग ही भूमि उपयोग कहलाता है। भूमि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता– रोटी, कपड़ा व मकान को पूरा करने में सहायक है। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि ने भूमि–उपयोग की प्रवृत्ति में परिवर्तन किया है। बढ़ती जनसंख्या तथा इससे उत्पन्न विभिन्न सामाजिक–आर्थिक समस्याएँ यथा गरीबी, कुपोषण, निम्न जीवन स्तर आदि भूमि के दुरुपयोग के कारण उत्पन्न होते है। अतः यह आवश्यक है कि भूमि संसाधन के उपयोग, दुरुपयोग एवं इसकी संभाविता का समग्र आकलन किया जाय। भूमि संसाधन का उचित उपयोग एवं संरक्षण सीधे मानव कल्याण से जुड़ा हुआ है।

प्रस्तुत शोध पत्र में जनपद कुशीनगर के सामान्य भूमि उपयोग का विश्लेषण किया गया है। वर्ष 1995 एवं 2022 के मध्य भूमि उपयोग प्रतिरुप में परिवर्तन देखने के लिए 27 बर्ष की अवधि को चुना गया है। परिवर्तन की दृष्टि से इन वर्षों में जहाँ कृषि योग्य बंजर भूमि (0.68 प्रतिशत), वर्तमान परती भूमि (1.24 प्रतिशत), कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग भूमि (0.60 प्रतिशत) एवं शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल (1.20 प्रतिशत) में वृद्वि हुई, वहीं वन (0.71 प्रतिशत), अन्य परती भूमि (0.30 प्रतिशत), ऊसर एवं कृषि में अयोग्य भूमि (2.00 प्रतिशत), चारागाह भूमि (0.05 प्रतिशत) तथा उद्यान वृक्षों एवं झाड़ियों के क्षेत्रफल (0.68 प्रतिशत) में कमी आयी।

संकेत शब्द– भूमि उपयोग, कृषि योग्य बंजर भूमि, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, परती भूमि, चारागाह भूमि, भूमि आवरण, भूमि उपयोग परिवर्तन।

भूमिका

सभ्यता के आरम्भिक युग से लेकर वर्तमान युग तक मानव अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से भूमि संसाधन पर आश्रित रहा है। भूमि सभी प्राकृतिक संसाधनो में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, जिस पर मानव के समस्त क्रियाकलाप (सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक) सम्पन्न होते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या मुख्यतः इस संसाधन के दोहन पर आश्रित है। भूमि संसाधन मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा मानव कल्याण के विभिन्न आयामों को प्रभावित करता है। सामान्य अर्थों में भूमि उपयोग एक ऐसी क्रिया है जिसमें भूमि आवरण के माध्यम से धरातल का उपयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में, किसी क्षेत्र की कुल भूमि का विभिन्न कार्यो में किया जाने वाला उपयोग ही भूमि उपयोग कहलाता है।

बढ़ती जनसंख्या की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से भूमि संसाधन से जुड़ा है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों में भूमि एक महत्वपूर्ण सम्पदा है, जो कृषि सहित सभी विकास कार्यों के लिये मूलभूत आधार प्रदान करती है। भूमि उपयोग की दशायें समय एवं स्थान के परिप्रेक्ष्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित होती रहती है। भूमि उपयोग नियोजन द्वारा अनुकूलतम भूमि उपयोग के साथ–साथ भूमि संसाधन के दुरूपयोग को नियंत्रित किया जा सकता है। भूमि उपयोग का स्वरूप एवं उसकी गहनता मानव समुदाय के आर्थिक स्रोतों, व्यवसायिक क्रियाओं, जीवन शैली एवं उपलब्धियों को निर्धारित ही नहीं वरन् उसके सामाजिक आर्थिक क्रियाओं को भी प्रभावित करता हैं। मानव, प्राकृतिक परिवेश से सामंजस्य स्थापित करता है, जिसके परिणामस्वरूप किसी क्षेत्र का भूमि उपयोग प्रतिरूप निर्धारित होता है। मानव सभ्यता के विकास के प्रथम सोपान से लेकर वर्तमान समय तक अनेकानेक वैज्ञानिक उपलब्धियों एवं तकनीकी सुविधाओं से सम्पन्न मानव के लिए भूमि का महत्वपूर्ण स्थान है। अतः मानव प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक परिवेश से सामंजस्य स्थापित करते हुए भूमि का अधिकाधिक उपयोग करने का सतत् प्रयास करता है।

भूगोल की आत्मा भूमि से जुड़ी है। भूमि एक सीमित है। इस सीमित भूमि पर ही मानव अपनी विभिन्न आवश्यकताओं, यथाः आखेट, कृषि, उद्योग, निवास, यातायात, व्यवसाय आदि की पूर्ति करता है। भूमि उपयोग प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक उत्पादनों के संयोग का प्रतिशत है। मानवीय सभ्यता और उसकी आवश्यकताओं मे परिवर्तन के अनुसार भूमि उपयोग का स्वरूप बदलता रहता है, जिसमे परोक्ष रूप से कृषि विकास की अवस्थाएं अंकित होती है। कृषि कार्य में विविधता एवं विशिष्टता भूमि उपयोग के विकासक्रम की द्योतक होती है, तथा ये मानव के जीवन–यापन की प्राथमिक आवश्यकताओं से लेकर सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास को प्रभावित करती है। वर्तमान समय की मांग है कि भूमि की उत्पादकता बढ़ाई जाय ताकि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ ही भविष्य के लिए भूमि संसाधन को संरक्षित किया जा सके। भूमि उपयोग मानव एवं पर्यावरण के साथ समायोजन है यद्यपि भूमि उपयोग शब्द का प्रयोग कार्ल ओ सावर (1919) ने किया। जोन्स एवं फिन्च (1925) ने अपने अध्ययनों में इसे आगे बढ़ाया। परन्तु भूगोल में भूमि उपयोग एवं उसके नियोजन का विस्तृत विश्लेषण स्टैम्प (1931) के ग्रेट ब्रिटेन के भूमि उपयोग सर्वेक्षण तथा बक (1937) के व्यापक सर्वेक्षण के बाद ही सम्भव हो सका। कोपाक (1964) द्वारा प्रकाशित ''कृषि मानचित्रावली'' भूमि उपयोग अध्ययन की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला थीं, जो कि आधुनिक काल में आकड़ों के बाहुल्य तथा उपलब्धि का प्रतीक है। चटर्जी (1945) ने सर्वप्रथम ''चौबीस परगना में भूमि उपयोग'' नामक शोध प्रपत्र लिखकर इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किया। तत्पश्चात् राव (1947) द्वारा गोदावरी क्षेत्र के भूमि उपयोग विश्लेषण सम्बन्धी शोध पत्र प्रकाशित हुआ। बिहार के कृषि भूगोल पर दयाल (1947) द्वारा किया गया शोध कार्य विभिन्न भौगोलिक कारकों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। इसके पश्चात मुहम्मद शफी (1961) ने भूमि उपयोग अध्ययन में प्रतिदर्श अध्ययन तकनीकी का प्रयोग किया। करैल एवं करैल (1972) ने बताया कि किसी क्षेत्र के भूमि उपयोग प्रतिरूप के सम्यक् अध्ययन द्वारा हमें उस प्रदेश के निवासियों के रहन सहन, व्यवसाय, तकनीकि ज्ञान का स्तर, खान–पान की आदतों तथा बहुत कुछ अशों तक उसकी मान्यताओं की जानकारी प्राप्त होती है। उजागिर सिंह (1955) द्वारा सारनाथ के समीप पांच गांवों का भूमि उपयोग सर्वेक्षण विशेष उल्लेखनीय है। बी०आर० सिंह (1962) ने मिर्जापुर जनपद के समीपवर्ती के भूमि उपयोग विश्लेषण में विभिन्न पक्षो उपयोग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। श्रीवास्तव (2001) ने अपने शोध ग्रंथ में जनपद सुल्तानपुर का भूमि संसाधन एवं जनसंख्या के मध्य अर्न्तसम्बन्ध पर प्रकाश डाला। कमलेश (2000) ने अपने शोध पत्र में रायगढ़ जिले के भूमि उपयोग परिवर्तन का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया। श्रीवास्तव व जाट (2006) ने अपने शोध पत्र में जबलपुर नगर के भूमि उपयोग प्रतिरूप में परिवर्तन पर प्रकाश डाला। प्रसाद (2006) ने जनपद धनबाद में भूमि उपयोग परिवर्तन एवं पर्यावरण अवनयन के मध्य अन्तर्सम्बन्ध पर अध्ययन किया जबकि श्रीवास्तव, मौर्या एवं सिंह (2008) ने संतरविदास नगर में भूमि उपयोग परिवर्तन प्रतिरूप का नियोजन प्रस्तुत किया। यादव (2008) ने अपने शोध पत्र में जनपद अम्बेडकर नगर के भूमि उपयोग के बारे में बताया। अपने शोध पत्र में यादव एवं यादव (2008) ने जनपद गाजीपुर में भूमि उपयोग परिवर्तन का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया। कुमार व सिंह (2009) ने अपने शोध पत्र में बलिया जनपद का बदलता हुआ भूमि उपयोग एवं शस्य प्रतिरूप के बारे में बताया। राय व सिंह (2009) ने अपने शोध पत्र में मिर्जापुर जनपद के सामान्य भूमि उपयोग प्रतिरूप के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। श्रीवास्तव (2009) ने अपने शोध ग्रंथ में जनपद महराजगंज में भूमि संसाधन उपयोग एवं ग्रामीण विकास के बारे में विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया। अपने शोध पत्र में सिंह व सिंह (2010) ने सुलतानपुर जिले के अमेठी तहसील के भूमि उपयोग के बारें में बताया। शर्मा (2011) ने मऊ जनपद में अवस्थपना तत्वों का ग्रामीण विकास पर प्रभाव का एक भौगोलिक प्रभाव का अध्ययन किया। कुमार एवं प्रसाद (2011) ने बड़ागांव विकासखण्ड के भूमि उपयोग परिवर्तन एवं ग्रामीण विकास का एक भौगोलिक अध्ययन प्रस्तुत किया। रोजर (2011) ने विश्व के भूमि उपयोग एवं भूमि प्रतिरूप के अध्ययन में जलवायु को मुख्य कारण बताया। गौतम एवं शर्मा (2012) ने महराजगंज जनपद के भूमि उपयोग का अध्ययन किया। यादव (2018) ने जनपद जौनपुर में भूमि उपयोग का एक भौगोलिक समीक्षा प्रस्तुत की एवं कुमार व तिवारी (2023) ने विकासखण्ड बहादुरपुर में भूमि उपयोग परिवर्तन का एक भौगोलिक विश्लेषण को बताया। इस प्रकार इन अध्ययनों में भूमि उपयोग को आर्थिक–सामाजिक विकास का आधार बताया गया है।

वर्तमान समय की माँग है कि भूमि की उत्पादकता बढ़ाई जाय ताकि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ ही भविष्य के लिए भूमि संसाधन को संरक्षित किया जा सके।

अध्ययन क्षेत्र

जनपद कुशीनगर उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर मण्डल के अन्तर्गत मध्य गंगा के मैदान में स्थित है। इसके उत्तर में नेपाल देश की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा, पूर्व में बिहार राज्य की सीमा, उत्तर पश्चिम में महराजगंज, दक्षिण पश्चिम में गोरखपुर एवंउ दक्षिण में देवरिया जनपद स्थित है। इसका विस्तार $26^0 30'$ से $27^0 08'$ उत्तरी अक्षांश एवं $83^0 33'$ से $84^0 26'$ पूर्वी देशान्तर के मध्य है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 2904.21 वर्ग किमी0 है। जनपद में 6 तहसील (पडरौना, कसया, हाटा, तमकुही, खड्डा और कप्तानगंज) एवं 14 विकासखण्ड (कप्तानगंज, रामकोला, मोतीचक, सुकरौली, हाटा, खड्डा, नेबुआ नौरंगियां, विशुनपुरा, पडरौना, कसया, दुदही, फाजिलनगर, तमकुही और सेवरही) है।

उद्देश्य

1. जनपद के सामान्य भूमि उपयोग का दो समयावधि वर्ष 1995 एवं 2022 में हो रहे परिवर्तन का अध्ययन करना।
2. विकासखण्डवार भूमि उपयोग की बदलती प्रवृत्ति का विश्लेषण करना।

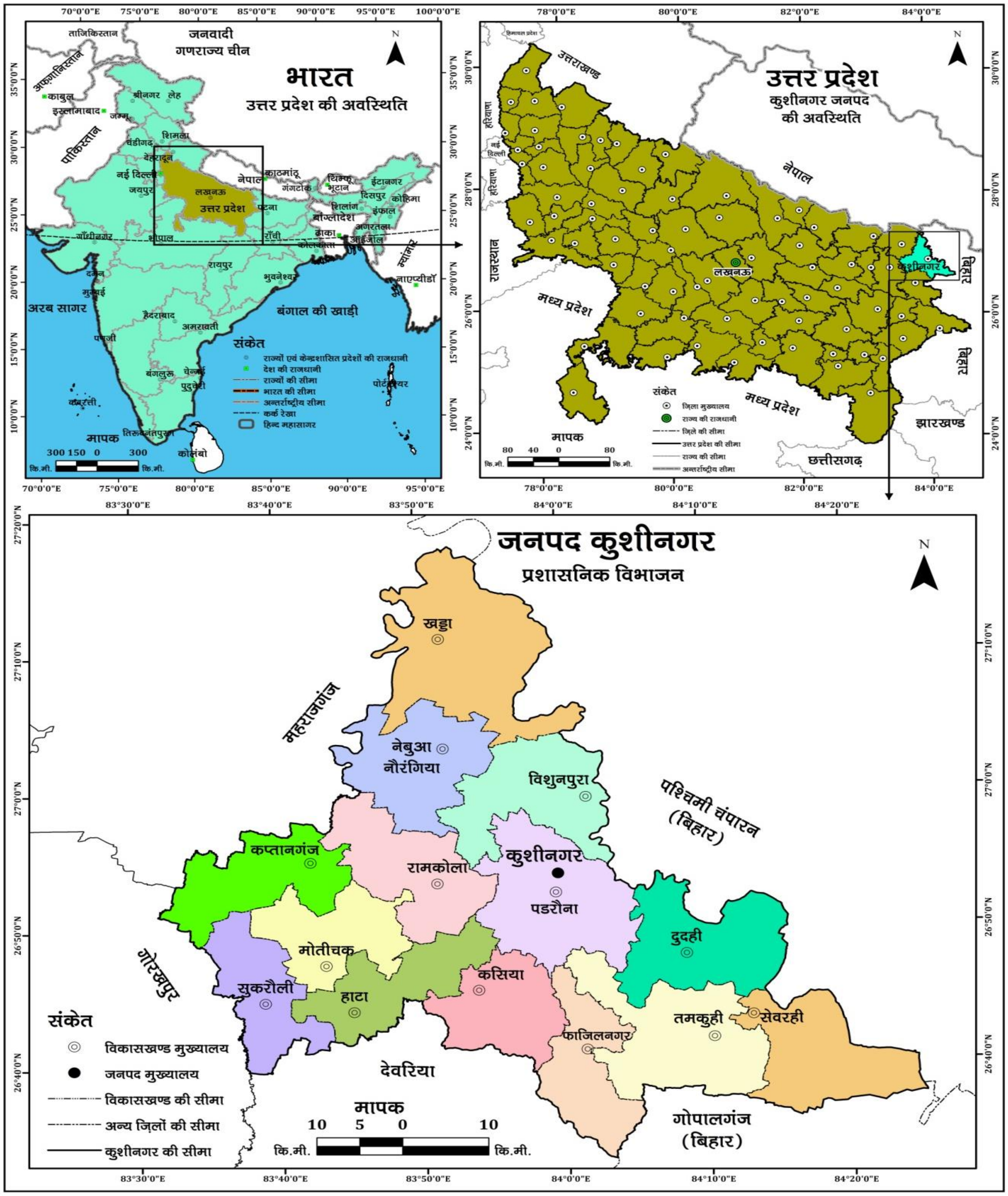

मानचित्र 1
अध्ययन क्षेत्र का अवस्थिति

आंकड़ा स्रोत एवं विधितंत्र

प्रस्तुत शोध पत्र द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य जनपद के भूमि उपयोग प्रतिरूप में परिवर्तन का अध्ययन करना है। भूमि उपयोग के वर्णन में विकासखण्ड को इकाई माना गया है। भूमि उपयोग का विश्लेषण राज्य नियोजन संस्थान, उ०प्र० द्वारा निर्गत सांख्यिकीय पत्रिका में वर्णित विभिन्न वर्गों के अन्तर्गत किया गया है। जिसमें वन, ऊसर एवं कृषि अयोग्य भूमि, कृष्येत्तर उपयोग की भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि, उद्यान वृक्षों एवं झाड़ियों का क्षेत्रफल, चारागाह, वर्तमान परती भूमि, अन्य परती भूमि, शुद्व बोया गया क्षेत्रफल सम्मिलित हैं। जनपद में भूमि उपयोग को समझने के लिए दो समयावधि का विश्लेषण करके उपयोग में लाया गया है। जिसमें वर्ष 1995 एवं 2022 को शामिल किया गया है। जहां वर्ष 1996 एवं 2023 के भूमि उपयोग के आकड़ों का प्रयोग किया गया है। ये आकड़ें सम्बन्धित वर्षों की सांख्यिकीय पत्रिकाओं से प्राप्त

किये गये है। भूमि उपयोग परिवर्तन प्रतिरुप को समझने के लिए 27 वर्षों के आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए परिवर्तन के सकारात्मक एवं नकारात्मक पहलुओं को बताया गया है। विश्लेषण को समझने के लिए सारिणी, चक्र आरेख एवं मानचित्र का समावेश किया गया है।

भूमि उपयोग

भूमि उपयोग प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक उपादानों के संयोग का प्रतिफल होता है। मानवीय सभ्यता एवं उसकी आवश्यकताओं में परिवर्तन के अनुसार भूमि उपयोग का स्वरूप परिवर्तित होता रहता है। किसी भी क्षेत्र में भूमि उपयोग की उपयोगिता से क्षेत्र का आर्थिक भू–दृश्य प्रभावित होता हैं। भूमि उपयोग के अन्तर्गत किसी भू–भाग का मानव द्वारा किसी कार्य के लिये प्रयुक्त किये जाने से है। यह उपयोग कृषि, पशुपालन व उद्योग आदि से सम्बन्धित हो सकता है तो दूसरी ओर मानव की सांस्कृतिक क्रियाओं के लिये भी प्रयुक्त किया जा सकता है।

सन् 1950 में देश में भूमि का वर्गीकरण किया गया था, जिसके आधार पर जनपद कुशीनगर में निम्नलिखित भूमि उपयोग को नौ वर्गों में रखा गया है।

1. वन

वन पर्यावरण की एक अमूल्य निधि है। यह न केवल मानव की आर्थिक क्रियाकलापों को आधार प्रस्तुत करता है वरन् पर्यावरण के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत की वन नीति के अनुसार मैदानी भागों में एक–तिहाई धरातल पर वन होना चाहिए किन्तु देवरिया जनपद कृषि प्रधान होने के कारण भी वन संसाधन की कमी है। यहां पर अधिकांश वन रेलवे लाइन के किनारे स्थित है जो रेलवे की सम्पत्ति है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार समस्त भू–भाग का एक–तिहाई (33 प्रतिशत) पर वन होना चाहिए। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में (23.34 प्रतिशत) उत्तर प्रदेश में (6.88 प्रतिशत) और जनपद में वन (0.28 प्रतिशत) हैं (जिला सांख्यिकीय पत्रिका 2023)। वनों के क्षेत्रफल का कम होने का मुख्य कारण नगरीयकरण, सड़कों का चौड़ीकरण एवं पेड़–पौधों का घरेलू कार्यों में उपयोग।

वर्ष 1995 में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का 0.99 प्रतिशत भाग पर वनों का विस्तार था, जो कि वर्ष 2022 में 0.71 प्रतिशत की कमी के साथ 0.28 प्रतिशत हो गया (तालिका 3 एवं चित्र सं0 1)।

विकासखण्डवार वर्ष 1995 में सर्वाधिक वन का प्रतिशत फाजिलनगर (13.8 प्रतिशत) में था। इसके बाद खड्डा (9.37 प्रतिशत), सुकरौली (9.2 प्रतिशत), कप्तानगंज (8.54 प्रतिशत), रामकोला (6.175 प्रतिशत), नेबुआ नौरंगिया (6.03 प्रतिशत), मोतीचक (5.92 प्रतिशत), विशुनपुरा (5.92 प्रतिशत), पडरौना (5.92 प्रतिशत), हाटा (5.85 प्रतिशत), कसया (5.85 प्रतिशत), सेवरही (5.85 प्रतिशत), दुदही (5.82 प्रतिशत) एवं सबसे कम तमकुही (5.75 प्रतिशत) में था (तालिका 1)। वहीं 2022 में सर्वाधिक पडरौना (20.02 प्रतिशत) में था। इसके बाद खड्डा (15.14 प्रतिशत), विशुनपुरा (11.23 प्रतिशत), नेबुआ नौरंगिया (6.47 प्रतिशत), सेवरही (6.47 प्रतिशत), दुदही (6.23 प्रतिशत), फाजिलनगर (5.74 प्रतिशत), कप्तानगंज (5.49 प्रतिशत), हाटा (5.01 प्रतिशत), मोतीचक (4.88 प्रतिशत), तमकुही (4.40 प्रतिशत), रामकोला (3.79 प्रतिशत), सुकरौली (2.81 प्रतिशत) एवं सबसे कम कसया (2.32 प्रतिशत) विकासखण्ड में था (तालिका 2)।

1995 से 2022 में वनों के प्रतिशत में सर्वाधिक धनात्मक वृद्वि पडरौना (14.10 प्रतिशत) में तत्पश्चात् खड्डा (5.77 प्रतिशत), विशुनपुरा (5.31 प्रतिशत), सेवरही (0.62 प्रतिशत), नेबुआ नौरंगिया (0.44 प्रतिशत) और दुदही (0.41 प्रतिशत) में था तथा सर्वाधिक ऋणात्मक परिवर्तन फाजिलनगर (–8.06 प्रतिशत), सुकरौली (–6.39 प्रतिशत), कसया (–3.53 प्रतिशत), कप्तानगंज (3.058 प्रतिशत), रामकोला (–2.38 प्रतिशत), तमकुही (–1.35 प्रतिशत), मोतीचक (–1.04 प्रतिशत) व हाटा (–0.84 प्रतिशत) विकासखण्ड में हुआ है (तालिका 4)।

हालांकि वनों का क्षेत्रफल राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार बहुत कम है। वन विभाग द्वारा हर वर्ष जुलाई–अगस्त में महाअभियान चलाकर लाखों पौधे लगाने का दावा करता है, लेकिन जनपद में इसका असर नजर नहीं आ रहा। आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2017–18 में वन विभाग ने दो लाख, जबकि दूसरे सरकारी विभागों ने पांच लाख एक हजार पौधे रोपे। 2018–19 में यह संख्या बढ़कर 11 लाख को पार कर गई। वन विभाग की तरफ से जहां तीन लाख 88 हजार पौधे लगाए गए, वहीं अन्य विभागों ने आठ लाख के लगभग पौधे लगाये गए, लगभग उतनी ही संख्या में पेड़ हर वर्ष कटते गए। काटे गए पौधों में सर्वाधिक संख्या घरेलू कार्य में लाए जाने वाले पेड़ सागौन की रही है।

तालिका 1

जनपद कुशीनगर में भूमि उपयोग वर्ष 1995

विकासखण्ड	वन		कृष्य बेकार भूमि		वर्तमान परती भूमि		अन्य परती भूमि		ऊसर एवं कृषि में अयोग्य भूमि		कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग भूमि		चारागाह		उद्यान वृक्षों एवं झाड़ियों का क्षेत्रफल		शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल	
	हेक्टेयर	प्रतिशत	हेक्टेयर	प्रतिशत	हेक्टेयर	प्रतिशत	हेक्टेयर	प्रतिशत	हेक्टेयर	प्रतिशत	हेक्टेयर	प्रतिशत	हेक्टेयर	प्रतिशत	हेक्टेयर	प्रतिशत	हेक्टेयर	प्रतिशत
कप्तानगंज	245	8.54	194	6.53	310	10.46	388	5.28	646	6.23	2523	6.00	4	0.82	174	2.75	13576	6.30

रामकोला	177	6.17	106	3.57	698	23.55	252	3.43	686	6.61	2533	6.03	12	2.45	228	3.60	16379	7.60
मोतीचक	170	5.92	147	4.95	203	6.85	286	3.89	848	8.17	2515	5.98	3	0.61	260	4.11	12587	5.84
सुकरौली	264	9.20	121	4.07	16	0.54	249	3.39	886	8.54	2457	5.85	6	1.23	210	3.32	12344	5.73
हाटा	168	5.85	139	4.68	231	7.79	382	5.20	858	8.27	2400	5.71	11	2.25	336	5.31	11984	5.56
खड्डा	269	9.37	153	5.15	40	1.35	518	7.05	953	9.18	5410	12.87	14	2.86	357	5.64	25203	11.70
नेबुआ नौरंगिया	173	6.03	210	7.07	84	2.83	2247	30.58	1211	11.67	2878	6.85	268	54.81	579	9.15	13420	6.23
विशुनपुरा	170	5.92	310	10.43	16	0.54	507	6.90	888	8.56	2962	7.05	6	1.23	744	11.76	17069	7.92
पडरौना	170	5.92	222	7.47	128	4.32	413	5.62	972	9.37	3601	8.57	45	9.20	656	10.37	22195	10.30
कसया	168	5.85	137	4.61	229	7.73	597	8.12	476	4.59	2483	5.91	19	3.89	874	13.82	7532	3.50
दुदही	167	5.82	522	17.57	222	7.49	385	5.24	535	5.16	3383	8.05	33	6.75	411	6.50	18612	8.64
फाजिलनगर	396	13.80	140	4.71	332	11.20	360	4.90	443	4.27	2644	6.29	20	4.09	506	8.00	11505	5.34
तमकुही	165	5.75	320	10.77	333	11.23	359	4.89	525	5.06	2909	6.92	20	4.09	162	2.56	15798	7.33
सेवरही	168	5.85	250	8.41	122	4.12	405	5.51	450	4.34	3334	7.93	28	5.73	828	13.09	17282	8.02
योग	**2870**	**100.00**	**2971**	**100.00**	**2964**	**100.00**	**7348**	**100.00**	**10377**	**100.00**	**42032**	**100.00**	**489**	**100.00**	**6325**	**100.00**	**215486**	**100.00**

स्रोत– सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद कुशीनगर वर्ष 1996 से प्राप्त आंकड़ों द्वारा परिकलित

2. कृषि योग्य बंजर भूमि

यह वह क्षेत्र या भूमि है जिसमें किसी दशाओं के कारण वर्तमान समय में कृषि कार्य नही हो रहा है, लेकिन वर्तमान समय में वैज्ञानिक अनुसंधान, उचित संसाधनों की उपलब्धता एवं सरकारी भूमि सुधार कार्यक्रमों के द्वारा इस भूमि को कृषि कार्यों में उपयोग किया जा सकता है।

वर्ष 1995 में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का 1.02 प्रतिशत भाग पर कृषि योग्य बंजर भूमि का विस्तार था, जो कि वर्ष 2022 में 0.68 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1.70 प्रतिशत हो गया (तालिका 3 एवं चित्र सं0 1)।

वर्ष 1995 में सर्वाधिक कृषि योग्य बंजर भूमि का प्रतिशत विकासखण्ड दुदही (17.57 प्रतिशत) में था। इसके बाद तमकुही (10.77 प्रतिशत), विशुनपुरा (10.43 प्रतिशत), सेवरही (8.41 प्रतिशत), पडरौना (7.47 प्रतिशत), नेबुआ नौरंगिया (7.07 प्रतिशत), कप्तानगंज (6.53 प्रतिशत), खड्डा (5.15 प्रतिशत), मोतीचक (4.95 प्रतिशत), फाजिलनगर (4.71 प्रतिशत), हाटा (4.68 प्रतिशत) कसया (4.61 प्रतिशत), सुकरौली (4.07 प्रतिशत) एवं सबसे कम रामकोला (3.57 प्रतिशत) में था (तालिका 1)। वहीं 2022 में सर्वाधिक खड्डा (9.47 प्रतिशत) में था। इसके बाद पडरौना (9.39 प्रतिशत), फाजिलनगर (8.59 प्रतिशत), सेवरही (8.55 प्रतिशत), विशुनपुरा (7.84 प्रतिशत), नेबुआ नौरंगिया (7.72 प्रतिशत), हाटा (7.06 प्रतिशत), दुदही (6.61 प्रतिशत), मोतीचक (6.49 प्रतिशत), रामकोला (6.41 प्रतिशत), तमकुही (6.41 प्रतिशत), कप्तानगंज (6.02 प्रतिशत), सुकरौली (5.14 प्रतिशत) एवं सबसे कम कसया (4.29 प्रतिशत) विकासखण्ड में था (तालिका 2)।

1995 से 2022 में कृषि योग्य बंजर भूमि के प्रतिशत में सर्वाधिक धनात्मक वृद्धि खड्डा (4.32 प्रतिशत) में तत्पश्चात् फाजिलनगर (3.88 प्रतिशत), रामकोला (2.84 प्रतिशत), हाटा (2.38 प्रतिशत), पडरौना (1.92 प्रतिशत), मोतीचक (1.54 प्रतिशत), सुकरौली (1.07 प्रतिशत), नेबुआ नौरंगिया (0.65 प्रतिशत) व सेवरही (0.14 प्रतिशत) में था तथा सर्वाधिक ऋणात्मक परिवर्तन दुदही (–10.96 प्रतिशत), तमकुही (–4.36 प्रतिशत) विशुनपुरा (–2.59 प्रतिशत), कप्तानगंज (–0.51 प्रतिशत) और कसया (–0.32 प्रतिशत) विकासखण्ड में हुआ है (तालिका 4)।

तालिका 2

जनपद कुशीनगर में भूमि उपयोग वर्ष 2022

विकासखण्ड	वन		कृषि योग्य बंजर भूमि		वर्तमान परती भूमि		अन्य परती भूमि		ऊसर एवं कृषि में अयोग्य भूमि		कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग भूमि		चारागाह		उद्यान वृक्षों एवं झाड़ियों का क्षेत्रफल		शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल	
	हेक्टेयर	प्रतिशत	हेक्टेयर	प्रतिशत	हेक्टेयर	प्रतिशत	हेक्टेयर	प्रतिशत	हेक्टेयर	प्रतिशत	हेक्टेयर	प्रतिशत	हेक्टेयर	प्रतिशत	हेक्टेयर	प्रतिशत	हेक्टेयर	प्रतिशत
कप्तानगंज	45	5.49	295	6.02	376	5.77	482	7.51	162	3.57	2348	5.41	23	6.53	297	6.90	13452	6.20
रामकोला	31	3.79	314	6.41	424	6.51	499	7.78	637	14.05	4708	10.85	26	7.39	402	9.34	16459	7.59
मोतीचक	40	4.88	318	6.49	351	5.39	362	5.64	218	4.81	3497	8.06	22	6.25	193	4.48	13924	6.42
सुकरौली	23	2.81	252	5.14	469	7.20	555	8.65	171	3.77	1171	2.70	25	7.10	235	5.46	11919	5.49
हाटा	41	5.01	346	7.06	499	7.66	410	6.39	185	4.08	1536	3.54	23	6.53	237	5.51	13780	6.35
खड्डा	124	15.14	464	9.47	558	8.57	488	7.61	1672	36.88	10331	23.82	20	5.68	276	6.41	17486	8.06
नेबुआ नौरंगिया	53	6.47	378	7.72	527	8.09	422	6.58	249	5.49	2930	6.75	21	5.97	368	8.55	16136	7.44
विशुनपुरा	92	11.23	384	7.84	499	7.66	318	4.96	156	3.44	2490	5.74	32	9.09	341	7.92	17285	7.97
पडरौना	164	20.02	460	9.39	696	10.69	490	7.64	461	10.17	3746	8.64	42	11.93	263	6.11	21181	9.76
कसया	19	2.32	210	4.29	319	4.90	382	5.95	76	1.68	1301	3.00	13	3.69	70	1.63	10125	4.67
दुदही	51	6.23	324	6.61	431	6.62	375	5.84	159	3.51	2493	5.75	27	7.67	329	7.64	16833	7.76
फाजिलनगर	47	5.74	421	8.59	469	7.20	385	6.00	111	2.45	2266	5.22	35	9.94	341	7.92	13325	6.14
तमकुही	36	4.40	314	6.41	335	5.14	427	6.66	155	3.42	2393	5.52	23	6.53	447	10.39	15963	7.36
सेवरही	53	6.47	419	8.55	559	8.58	821	12.80	122	2.69	2169	5.00	20	5.68	505	11.73	19100	8.80
योग	**819**	**100.00**	**4899**	**100.00**	**6512**	**100.00**	**6416**	**100.00**	**4534**	**100.00**	**43379**	**100.00**	**352**	**100.00**	**4304**	**100.00**	**216968**	**100.00**

स्रोत– सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद कुशीनगर वर्ष 2023 से प्राप्त आंकड़ों द्वारा परिकलित

3. वर्तमान परती भूमि

वर्तमान परती वह भूमि होती है जो एक कृषि वर्ष या उससे कम समय तक कृषि रहित रहती है। भूमि की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु भूमि का परती रखना एक सामान्य चलन है। इस विधि से भूमि की क्षीण उर्वरता प्राकृतिक रुप से वापस आ जाती है। वर्ष 1995 में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का 1.02 प्रतिशत भाग पर वर्तमान परती भूमि का विस्तार था, जो कि वर्ष 2022 में 1.24 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2.26 प्रतिशत हो गया (तालिका 3 एवं चित्र सं0 1)।

वर्ष 1995 में सर्वाधिक वर्तमान परती भूमि का प्रतिशत विकासखण्ड रामकोला (23.55 प्रतिशत) में था। इसके बाद तमकुही (11.23 प्रतिशत), फाजिलनगर (11.20 प्रतिशत), कप्तानगंज (10.46 प्रतिशत), हाटा (7.79 प्रतिशत), कसया (7.73 प्रतिशत), दुदही (7.49 प्रतिशत), मोतीचक (6.85 प्रतिशत), पडरौना (4.32 प्रतिशत), सेवरही (4.12 प्रतिशत), नेबुआ नौरंगिया (2. 83 प्रतिशत), खड्डा (1.35 प्रतिशत) सुकरौली (0.54 प्रतिशत) एवं सबसे कम विशुनपुरा (0.54 प्रतिशत) में था (तालिका 1)। वहीं 2022 में सर्वाधिक पडरौना (10.69 प्रतिशत) में था। इसके बाद सेवरही (8.58 प्रतिशत), खड्डा (8.57 प्रतिशत), नेबुआ नौरंगिया (8.09 प्रतिशत), हाटा (7.66 प्रतिशत), विशुनपुरा (7.66 प्रतिशत), सुकरौली (7.2 प्रतिशत), फाजिलनगर (7.2 प्रतिशत), दुदही (6. 62 प्रतिशत), रामकोला (6.51 प्रतिशत), कप्तानगंज (5.77 प्रतिशत), मोतीचक (5.39 प्रतिशत), तमकुही (5.14 प्रतिशत) एवं सबसे कम कसया (4.9 प्रतिशत) विकासखण्ड में था (तालिका 2)।

1995 से 2022 में वर्तमान परती भूमि के प्रतिशत में सर्वाधिक धनात्मक वृद्वि खड्डा (7.22 प्रतिशत) में इसके बाद विशुनपुरा (7.12 प्रतिशत), सुकरौली (6.66 प्रतिशत), पडरौना (6.37 प्रतिशत), नेबुआ नौरंगिया (5.26 प्रतिशत), सेवरही (4.46 प्रतिशत) में था तथा सर्वाधिक ऋणात्मक परिवर्तन रामकोला (–17.04 प्रतिशत), तमकुही (–6.09 प्रतिशत), कप्तानगंज (–4.69 प्रतिशत), फाजिलनगर (–4.00 प्रतिशत), कसया (–2.83 प्रतिशत), मोतीचक (–1.46 प्रतिशत), दुदही (–0.87 प्रतिशत) और हाटा (–0.13 प्रतिशत) विकासखण्ड में हुआ है (तालिका 4)।

इस प्रकार की भूमि में कमी का मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या के कारण भूमि पर मानव हस्तक्षेप आवास निर्माण के रुप में होने लगा है एवं आधुनिक कृषि यंत्रों एवं रासायनिक खादों के प्रयोग ने ज्यादा परिवर्तन किया है। कृषि के प्रति जागरुकता ने इसके प्रतिशत को कम करने में सहायता की है।

4. अन्य परती भूमि

वह भूमि जो पिछले पाँच वर्षों तक या अधिक समय तक परती या कृषि रहित है, इस संवर्ग में सम्मिलित की जाती है। भूमि उद्धार तकनीक द्वारा इसे सुधार कर कृषि योग्य बनाया जा सकता है।

वर्ष 1995 में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का 2.53 प्रतिशत भाग पर अन्य परती भूमि का विस्तार था, जो कि वर्ष 2022 में 0.30 प्रतिशत की कमी के साथ 2.23 प्रतिशत हो गया (तालिका 3 एवं चित्र सं0 1)।

वर्ष 1995 में सर्वाधिक अन्य परती भूमि का प्रतिशत विकासखण्ड नेबुआ नौरंगिया (30.58 प्रतिशत) में था। इसके बाद कसया (8.12 प्रतिशत), खड्डा (7.05 प्रतिशत), विशुनपुरा (6.9 प्रतिशत), पडरौना (5.62 प्रतिशत), सेवरही (5.51 प्रतिशत), कप्तानगंज (5.28 प्रतिशत), दुदही (5.24 प्रतिशत), हाटा (5.2 प्रतिशत), फाजिलनगर (4.9 प्रतिशत), तमकुही (4.89 प्रतिशत), मोतीचक (3.89 प्रतिशत), रामकोला (3.43 प्रतिशत) एवं सबसे कम सुकरौली (3.39 प्रतिशत) में था (तालिका 1)। वहीं 2022 में सर्वाधिक सेवरही (12.8 प्रतिशत) में था। इसके बाद सुकरौली (8.65 प्रतिशत), रामकोला (7.78 प्रतिशत), पडरौना (7.64 प्रतिशत), खड्डा (7.61 प्रतिशत), कप्तानगंज (7.51 प्रतिशत), तमकुही (6.66 प्रतिशत), नेबुआ नौरंगिया (6.58 प्रतिशत), हाटा (6.39 प्रतिशत), फाजिलनगर (6.0 प्रतिशत), कसया (5.95 प्रतिशत) दुदही (5.84 प्रतिशत), मोतीचक (5.64 प्रतिशत) एवं सबसे कम विशुनपुरा (4. 96 प्रतिशत) विकासखण्ड में था (तालिका 2)।

1995 से 2022 में अन्य परती भूमि के प्रतिशत में सर्वाधिक धनात्मक वृद्धि सेवरही (7.29 प्रतिशत) में तत्पश्चात् सुकरौली (5.26 प्रतिशत), रामकोला (4.35 प्रतिशत), कप्तानगंज (2.23 प्रतिशत) पडरौना (2.02 प्रतिशत) तमकुही (1.77 प्रतिशत), मोतीचक (1.75 प्रतिशत), हाटा (1.19 प्रतिशत), फाजिलनगर (1.1 प्रतिशत), दुदही (0.6 प्रतिशत) व खड्डा (0.56 प्रतिशत) में था तथा सर्वाधिक ऋणात्मक परिवर्तन नेबुआ नौरंगिया (–24.00 प्रतिशत), कसया (–2.17 प्रतिशत) और विशुनपुरा (–1.94 प्रतिशत) विकासखण्ड में हुआ है (तालिका 4)।

5. ऊसर एवं कृषि में अयोग्य भूमि

ऊसर एवं कृषि में अयोग्य भूमि से तात्पर्य उस भूमि से है जिसमें लवणों विशेषकर सोडियम लवण की उपस्थित से मृदा में क्षारीयता आ जाती है जिस कारण मृदा ऊसर में परिवर्तित हो जाती है जो न तो कृषि के अंर्तगत है और न ही निकट भविष्य में उसे कृषि के अंर्तगत लाया जा सकता है। इसमें अधिवास, रेलवे लाइन, सड़क, नहर, कब्रिस्तान आदि को शामिल किया गया है।

वर्ष 1995 में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का 3.57 प्रतिशत भाग पर ऊसर एवं कृषि में अयोग्य भूमि का विस्तार था, जो कि वर्ष 2022 में 2.00 प्रतिशत की कमी के साथ 1.57 प्रतिशत हो गया (तालिका 3 एवं चित्र सं0 1)।

विकासखण्डवार वर्ष 1995 में सर्वाधिक ऊसर एवं कृषि में अयोग्य भूमि का प्रतिशत नेबुआ नौरंगिया (11.67 प्रतिशत) में था। इसके बाद पडरौना (9.37 प्रतिशत), खड्डा (9.18 प्रतिशत), विशुनपुरा (8.56 प्रतिशत), सुकरौली (8.54 प्रतिशत), हाटा (8.27 प्रतिशत), मोतीचक (8.17 प्रतिशत), रामकोला (6.61 प्रतिशत), कप्तानगंज (6.23 प्रतिशत), दुदही (5.16 प्रतिशत), तमकुही (5.06 प्रतिशत), कसया (4.59 प्रतिशत), सेवरही (4.34 प्रतिशत), एवं सबसे कम फाजिलनगर (4.27 प्रतिशत) में था (तालिका 1)। वहीं 2022 में सर्वाधिक खड्डा (36.88 प्रतिशत) में था। इसके बाद रामकोला (14.05 प्रतिशत), पडरौना (10.17 प्रतिशत), नेबुआ नौरंगिया (5.49 प्रतिशत), मोतीचक (4.81 प्रतिशत), हाटा (4.08 प्रतिशत), सुकरौली (3.77 प्रतिशत), कप्तानगंज (3.57 प्रतिशत), दुदही (3.51 प्रतिशत), विशुनपुरा (3.44 प्रतिशत), तमकुही (3.42 प्रतिशत) सेवरही (2.69 प्रतिशत), फाजिलनगर (2.45 प्रतिशत) एवं सबसे कम कसया (1.68 प्रतिशत) विकासखण्ड में था (तालिका 2)।

1995 से 2022 में ऊसर एवं कृषि में अयोग्य भूमि के प्रतिशत में सर्वाधिक धनात्मक वृद्धि खड्डा (27.7 प्रतिशत) में तत्पश्चात् रामकोला (7.44 प्रतिशत) और पडरौना (0.8 प्रतिशत) में था तथा सर्वाधिक ऋणात्मक परिवर्तन नेबुआ नौरंगिया (–6. 18 प्रतिशत), विशुनपुरा (–5.12 प्रतिशत), सुकरौली (–4.77 प्रतिशत), हाटा (–4.19 प्रतिशत), मोतीचक (–3.36 प्रतिशत), कसया (–2.91 प्रतिशत), कप्तानगंज (–2.66 प्रतिशत), फाजिलनगर (–1.82 प्रतिशत), सेवरही (–1.65 प्रतिशत), दुदही (–1.65 प्रतिशत) व तमकुही (–1.64 प्रतिशत) विकासखण्ड में हुआ है (तालिका 4)। इस क्षेत्र में निरन्तर वर्षों में कमी होती जा रही है जिसका मुख्य कारण सरकार द्वारा चलाये जा रहे ऊसर भूमि सुधार योजना है।

6. कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग भूमि

वे भूमि, जिसको कृषि के उपयोग में न लाकर अन्य उपयोग में लाया जाता है इसे अकृषित भूमि भी कहते है। इस संवर्ग में बस्तियाँ (ग्रामीण व शहरी), अवसंरचना (सड़के, नहरें आदि), उद्योगों, दुकानों आदि भू–उपयोग सम्मिलित है। द्वितीयक व तृतीयक कार्यकलापों में वृद्धि से इस संवर्ग के भू–उपयोग में वृद्धि होती है।

वर्ष 1995 में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का 14.45 प्रतिशत भाग पर कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग भूमि का विस्तार था, जो कि वर्ष 2022 में 0.60 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 15.05 प्रतिशत हो गया (तालिका 3 एवं चित्र सं0 1)।

वर्ष 1995 में सर्वाधिक कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग भूमि का प्रतिशत विकासखण्ड खड्डा (12.87 प्रतिशत) में था। इसके बाद पडरौना (8.57 प्रतिशत), दुदही (8.05 प्रतिशत), सेवरही (7.93 प्रतिशत), विशुनपुरा (7.05 प्रतिशत), तमकुही (6.92 प्रतिशत), नेबुआ नौरंगिया (6.85 प्रतिशत), फाजिलनगर (6.29 प्रतिशत), रामकोला (6.03 प्रतिशत), कप्तानगंज (6.00 प्रतिशत), मोतीचक (5.98 प्रतिशत), कसया (5.91 प्रतिशत), सुकरौली (5.85 प्रतिशत) एवं सबसे कम हाटा (5.71 प्रतिशत) में था (तालिका 1)। वहीं

2022 में सर्वाधिक खड्डा (23.82 प्रतिशत) में था। इसके बाद रामकोला (10.85 प्रतिशत), पडरौना (8.64 प्रतिशत), मोतीचक (8.06 प्रतिशत), नेबुआ नौरंगिया (6.75 प्रतिशत), दुदही (5.75 प्रतिशत), विशुनपुरा (5.74 प्रतिशत), तमकुही (5.52 प्रतिशत), कप्तानगंज (5.41 प्रतिशत), फाजिलनगर (5.22 प्रतिशत), सेवरही (5.0 प्रतिशत), हाटा (3.54 प्रतिशत), कसया (3.0 प्रतिशत) एवं सबसे कम सुकरौली (2.7 प्रतिशत) विकासखण्ड में था (तालिका 2)।

तालिका 3

जनपद में भूमि उपयोग परिवर्तन (प्रतिशत में) वर्ष 1995– 2022

भूमि उपयोग	1995		2022		परिवर्तन 1995-2022
	कुल क्षे० (हे०)	प्रतिशत	कुल क्षे० (हे०)	प्रतिशत	प्रतिशत
वन	2870	0.99	819	0.28	-0.71
कृषि योग्य बंजर भूमि	2971	1.02	4899	1.70	0.68
वर्तमान परती भूमि	2964	1.02	6512	2.26	1.24
अन्य परती भूमि	7348	2.53	6416	2.23	-0.30
ऊसर एवं कृषि में अयोग्य भूमि	10377	3.57	4534	1.57	-2.00
कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग भूमि	42032	14.45	43379	15.05	0.60
चारागाह	489	0.17	352	0.12	-0.05
उद्यान वृक्षों एवं झाड़ियों का क्षेत्रफल	6325	2.17	4304	1.49	-0.68
शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल	215486	74.09	216968	75.29	1.20
कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल	**290862**	**100.00**	**288183**	**100.00**	

स्रोत– सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद कुशीनगर वर्ष 1996 एवं 2023 से प्राप्त आंकड़ों द्वारा परिकलित

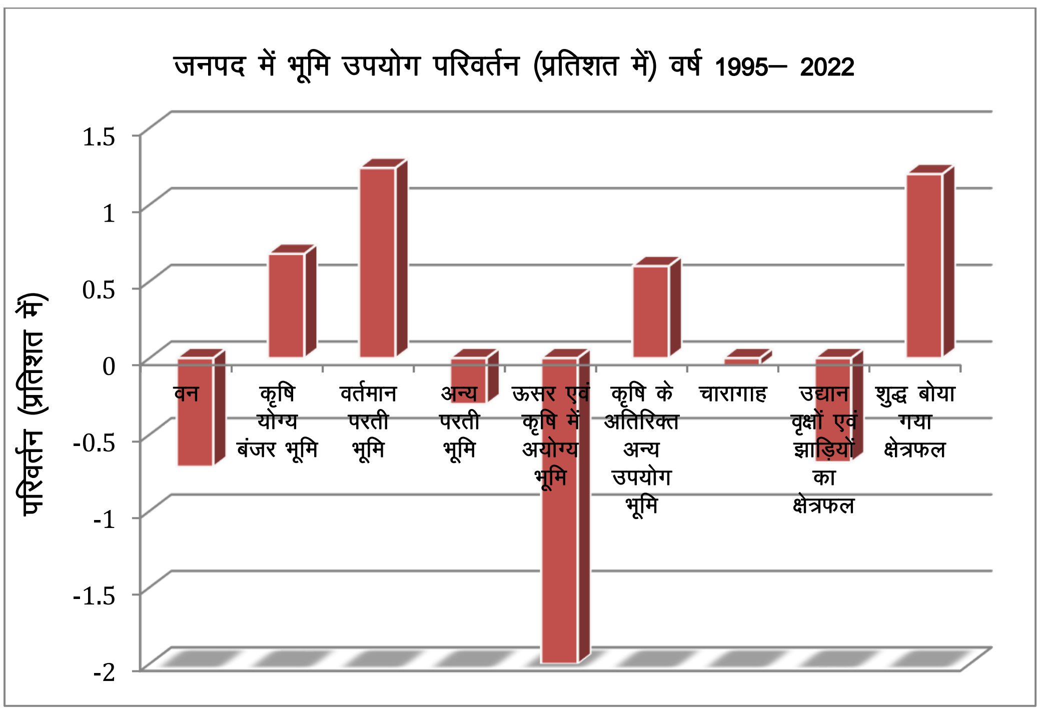

स्रोत– सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद कुशीनगर वर्ष 1996 एवं 2023 से प्राप्त आंकड़ों द्वारा परिकलित

चित्र सं0 1

1995 से 2022 में कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग भूमि के प्रतिशत में सर्वाधिक धनात्मक वृद्धि खड्डा (10.95 प्रतिशत) में इसके बाद रामकोला (4.82 प्रतिशत), मोतीचक (2.08 प्रतिशत) व पडरौना (0.07 प्रतिशत) में था तथा सर्वाधिक ऋणात्मक परिवर्तन सुकरौली (–3.15 प्रतिशत), सेवरही (–2.93 प्रतिशत), कसया (–2.91 प्रतिशत), दुदही (–2.3 प्रतिशत), हाटा (–2.17

प्रतिशत), तमकुही (–1.4 प्रतिशत), विशुनपुरा (–1.31 प्रतिशत), फाजिलनगर (–1.07 प्रतिशत), कप्तानगंज (–0.59 प्रतिशत) और नेबुआ नौरंगिया (–0.1 प्रतिशत) विकासखण्ड में हुआ है (तालिका 4)।

जनपद में निरन्तर इसका क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है, जिसका मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि, नगरीयकरण में वृद्धि, औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार, लोगों में कृषि कार्यों से मुख मोड़ना आदि है।

7. चारागाह

सार्वजनिक भूमि का वह भाग जिस पर पशुओं के खाने–चरने योग्य प्राकृतिक रुप से उपजी घास–वनस्पतियां तथा साथ ही मानव द्वारा उगाई जाने वाली फसलें, चारा आदि का क्षेत्र इस संवर्ग में आता है। इस प्रकार की अधिकतर भूमि पर ग्राम पंचायत या सरकार का स्वामित्व होता है। यह भूमि मृदा अपरदन से प्रभावित है।

वर्ष 1995 में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का 0.17 प्रतिशत भाग पर चारागाह भूमि का विस्तार था, जो कि वर्ष 2022 में 0.05 प्रतिशत की कमी के साथ 0.12 प्रतिशत हो गया (तालिका 3 एवं चित्र सं0 1)।

वर्ष 1995 में सर्वाधिक चारागाह भूमि का प्रतिशत विकासखण्ड नेबुआ नौरंगिया (54.81 प्रतिशत) में था। इसके बाद पडरौना (9.2 प्रतिशत), दुदही (6.75 प्रतिशत), सेवरही (5.73 प्रतिशत), फाजिलनगर (4.09 प्रतिशत), तमकुही (4.09 प्रतिशत), कसया (3.89 प्रतिशत), खड्डा (2.86 प्रतिशत), रामकोला (2.45 प्रतिशत), हाटा (2.25 प्रतिशत), सुकरौली (1.23 प्रतिशत), विशुनपुरा (1.23 प्रतिशत), कप्तानगंज (0.82 प्रतिशत) एवं सबसे कम मोतीचक (0.61 प्रतिशत) में था (तालिका 1)। वहीं 2022 में सर्वाधिक पडरौना (11.93 प्रतिशत) में था। इसके बाद फाजिलनगर (9.94 प्रतिशत), विशुनपुरा (9.09 प्रतिशत), दुदही (7.67 प्रतिशत), रामकोला (7.39 प्रतिशत), सुकरौली (7.1 प्रतिशत), हाटा (6.53 प्रतिशत), तमकुही (6.53 प्रतिशत), कप्तानगंज (6.53 प्रतिशत), मोतीचक (6.25 प्रतिशत), नेबुआ नौरंगिया (5.97 प्रतिशत), खड्डा (5.68 प्रतिशत), सेवरही (5.68 प्रतिशत) एवं सबसे कम कसया (3.69 प्रतिशत) विकासखण्ड में था (तालिका 2)।

1995 से 2022 में चारागाह भूमि के प्रतिशत में सर्वाधिक धनात्मक वृद्वि विशुनपुरा (7.86 प्रतिशत) में इसके बाद सुकरौली (5.87 प्रतिशत), फाजिलनगर (5.85 प्रतिशत), कप्तानगंज (5.71 प्रतिशत), मोतीचक (5.64 प्रतिशत), रामकोला (4.94 प्रतिशत), हाटा (4.28 प्रतिशत), खड्डा (2.82 प्रतिशत), पडरौना (2.73 प्रतिशत), तमकुही (2.44 प्रतिशत) व दुदही (0.92 प्रतिशत) में था तथा सर्वाधिक ऋणात्मक परिवर्तन नेबुआ नौरंगिया (–48.84 प्रतिशत) कसया (–0.2 प्रतिशत) और सेवरही (0.05 प्रतिशत) विकासखण्ड में हुआ है (तालिका 4)।

8. उद्यान वृक्ष एवं झाड़ियों के अंतर्गत भूमि

इस संवर्ग में वह भूमि सम्मिलित है जिस पर उद्यान, फलदार वृक्ष व झाड़ियां हैं। यह शुद्ध बोये गये क्षेत्र में सम्मिलित नहीं हैं। इस प्रकार की अधिकतर भूमि व्यक्तियों के निजी स्वामित्व में है। तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या, आवास रेल, सड़क चौड़ीकरण के कारण पिछले 27 वर्षों में कमी आई है एवं मनुष्य द्वारा वृक्षों एवं झाड़ियों का लगातार कटाव भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा है।

वर्ष 1995 में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का 2.17 प्रतिशत भाग पर उद्यान वृक्ष एवं झाड़ियों के अंतर्गत भूमि का विस्तार था, जो कि वर्ष 2022 में 0.68 प्रतिशत की कमी के साथ 1.49 प्रतिशत हो गया (तालिका 3 एवं चित्र सं0 1)। इस क्षेत्र के कम होने का कारण बढ़ती जनसंख्या, नगरीयकरण में वृद्धि, सड़को का चौड़ीकरण, औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार आदि है।

तालिका 4

विकासखण्डवार भूमि उपयोग परिवर्तन (प्रतिशत में) वर्ष 1995–2022

विकासखण्ड	वन	कृषि योग्य बंजर भूमि	वर्तमान परती भूमि	अन्य परती भूमि	ऊसर एवं कृषि में अयोग्य भूमि	कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग भूमि	चारागाह	उद्यान वृक्षों एवं झाड़ियों का क्षेत्रफल	शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल
कप्तानगंज	-3.05	-0.51	-4.69	+2.23	-2.66	-0.59	+5.71	+4.15	-0.1
रामकोला	-2.38	+2.84	-17.04	+4.35	+7.44	+4.82	+4.94	+5.74	-0.01
मोतीचक	-1.04	+1.54	-1.46	+1.75	-3.36	+2.08	+5.64	+0.37	+0.58
सुकरौली	-6.39	+1.07	+6.66	+5.26	-4.77	-3.15	+5.87	+2.14	-0.24
हाटा	-0.84	+2.38	-0.13	+1.19	-4.19	-2.17	+4.28	+0.2	+0.79
खड्डा	+5.77	+4.32	+7.22	+0.56	+27.7	+10.95	+2.82	+0.77	-3.64

नेबुआ नौरंगिया	+0.44	+0.65	+5.26	-24	-6.18	-0.1	-48.84	-0.6	+1.21
विशुनपुरा	+5.31	-2.59	+7.12	-1.94	-5.12	-1.31	+7.86	-3.84	+0.05
पडरौना	+14.1	+1.92	+6.37	+2.02	+0.8	+0.07	+2.73	-4.26	-0.54
कसया	-3.53	-0.32	-2.83	-2.17	-2.91	-2.91	-0.2	-12.19	+1.17
दुदही	+0.41	-10.96	-0.87	+0.6	-1.65	-2.3	+0.92	+1.14	-0.88
फाजिलनगर	-8.06	+3.88	-4	+1.1	-1.82	-1.07	+5.85	-0.08	+0.8
तमकुही	-1.35	-4.36	-6.09	+1.77	-1.64	-1.4	+2.44	+7.83	+0.03
सेवरही	+0.62	+0.14	+4.46	+7.29	-1.65	-2.93	-0.05	-1.36	+0.78

स्रोत– सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद कुशीनगर वर्ष 1996 एवं 2023 से प्राप्त आंकड़ों द्वारा परिकलित

वर्ष 1995 में सर्वाधिक उद्यान वृक्ष एवं झाड़ियों के अंतर्गत भूमि का प्रतिशत विकासखण्ड कसया (13.82 प्रतिशत) में था। इसके बाद सेवरही (13.09 प्रतिशत), विशुनपुरा (11.76 प्रतिशत), पडरौना (10.37 प्रतिशत), नेबुआ नौरंगिया (9.15 प्रतिशत), फाजिलनगर (8.00 प्रतिशत), दुदही (6.5 प्रतिशत), खड्डा (5.64 प्रतिशत), हाटा (5.31 प्रतिशत), मोतीचक (4.11 प्रतिशत), रामकोला (3.6 प्रतिशत), सुकरौली (3.32 प्रतिशत), कप्तानगंज (2.75 प्रतिशत) एवं सबसे कम तमकुही (2.56 प्रतिशत) में था (तालिका 1)। वहीं 2022 में सर्वाधिक सेवरही (11.73 प्रतिशत) में था। इसके बाद तमकुही (10.39 प्रतिशत), रामकोला (9.34 प्रतिशत), नेबुआ नौरंगिया (8.55 प्रतिशत), विशुनपुरा (7.92 प्रतिशत), फाजिलनगर (7.92 प्रतिशत), दुदही (7.64 प्रतिशत), कप्तानगंज (6.9 प्रतिशत), खड्डा (6.41 प्रतिशत), पडरौना (6.11 प्रतिशत), हाटा (5.51 प्रतिशत), सुकरौली (5.46 प्रतिशत), मोतीचक (4.48 प्रतिशत) एवं सबसे कम कसया (1.63 प्रतिशत) विकासखण्ड में था (तालिका 2)।

1995 से 2022 में उद्यान वृक्ष एवं झाड़ियों के अंतर्गत भूमि के प्रतिशत में सर्वाधिक धनात्मक वृद्धि तमकुही (7.83 प्रतिशत) में था। इसके बाद रामकोला (5.74 प्रतिशत), कप्तानगंज (4.15 प्रतिशत), सुकरौली (2.14 प्रतिशत), दुदही (1.14 प्रतिशत), खड्डा (0.77 प्रतिशत) मोतीचक (0.37 प्रतिशत) व हाटा (–0.2 प्रतिशत) में था तथा सर्वाधिक ऋणात्मक परिवर्तन कसया (–12.19 प्रतिशत), पडरौना (–4.26 प्रतिशत), विशुनपुरा (–3.84 प्रतिशत), सेवरही (–1.36 प्रतिशत) व नेबुआ नौरंगिया (–0.6 प्रतिशत) और फाजिलनगर (–0.08 प्रतिशत) विकासखण्ड में हुआ है (तालिका 4)।

9. शुद्ध बोया गया क्षेत्र

वह भूमि जिस पर फसलोत्पादन होता है शुद्ध बोया गया या शुद्ध कृषित भूमि कहलाता है। भूमि उपयोग के भौगोलिक अध्ययन में शुद्ध कृषि भूमि के अध्ययन में अद्वितीय स्थान रखता है क्योकिं किसी भी कृषि प्रधान क्षेत्र में कृषि संबंधी विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों का निष्पादन इन्ही क्षेत्रों में किया जाता है और इस प्रकार के क्षेत्र इनसे प्रत्यक्ष रुप से प्रभावित होता है। इसके उपयोग की विभिन्न अवस्थायें मानव के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास के स्तर का द्योतक है। मानव तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी विकास के द्वारा इस प्रकार की भूमि में वृद्धि के लिए सतत् प्रयासरत रहता है।

वर्ष 1995 में सर्वाधिक कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का 74.09 प्रतिशत भाग पर शुद्ध बोया गया क्षेत्र भूमि का विस्तार था, जो कि वर्ष 2022 में 1.20 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 75.29 प्रतिशत हो गया (तालिका 3 एवं चित्र सं0 1)।

वर्ष 1995 में सर्वाधिक शुद्ध बोया गया क्षेत्र भूमि का प्रतिशत विकासखण्ड खड्डा (11.7 प्रतिशत) में था। इसके बाद पडरौना (10.3 प्रतिशत), दुदही (8.64 प्रतिशत), सेवरही (8.02 प्रतिशत), विशुनपुरा (7.92 प्रतिशत), रामकोला (7.6 प्रतिशत), तमकुही (7.33 प्रतिशत), कप्तानगंज (6.3 प्रतिशत), नेबुआ नौरंगिया (6.23 प्रतिशत), मोतीचक (5.84 प्रतिशत), सुकरौली (5.73 प्रतिशत), हाटा (5.56 प्रतिशत), फाजिलनगर (5.34 प्रतिशत) एवं सबसे कम कसया (3.5 प्रतिशत) में था (तालिका 1)। वहीं 2022 में सर्वाधिक पडरौना (9.76 प्रतिशत) में था। इसके बाद सेवरही (8.8 प्रतिशत), खड्डा (8.06 प्रतिशत), विशुनपुरा (7.97 प्रतिशत), दुदही (7.76 प्रतिशत), रामकोला (7.59 प्रतिशत), नेबुआ नौरंगिया (7.44 प्रतिशत), तमकुही (7.36 प्रतिशत), मोतीचक (6.42 प्रतिशत), हाटा (6.35 प्रतिशत), कप्तानगंज (6.2 प्रतिशत), फाजिलनगर (6.14 प्रतिशत), सुकरौली (5.49 प्रतिशत) एवं सबसे कम कसया (4.67 प्रतिशत) विकासखण्ड में था (तालिका 2)।

1995 से 2022 में शुद्ध बोया गया क्षेत्र भूमि के प्रतिशत में परिवर्तन नगण्य हुआ है फिर भी सर्वाधिक धनात्मक वृद्धि नेबुआ नौरंगिया (1.21 प्रतिशत) में इसके बाद कसया (1.17 प्रतिशत), फाजिलनगर (0.8 प्रतिशत), हाटा (0.79 प्रतिशत), सेवरही (0.78 प्रतिशत), मोतीचक (0.58 प्रतिशत), विशुनपुरा (0.05 प्रतिशत) एवं तमकुही (0.03 प्रतिशत) में था तथा सर्वाधिक ऋणात्मक परिवर्तन खड्डा (–3.64 प्रतिशत), दुदही (–0.88 प्रतिशत), पडरौना (–0.54 प्रतिशत), सुकरौली (–0.24 प्रतिशत), कप्तानगंज (–0.1 प्रतिशत) और रामकोला (–0.01 प्रतिशत) विकासखण्ड में हुआ है (तालिका 4)। शुद्ध बोया गया क्षेत्र में पिछले 27 वर्षों

से वृद्धि देखने को मिल रही है जिसका मुख्य कारण यहां पर परती भूमि एवं कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग भूमि में विभिन्न सुधार द्वारा कृषि विकास पर जोर देना है।

निष्कर्ष

जनपद कुशीनगर में वर्ष 1995–2022 के भूमि उपयोग प्रतिरुप के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि चारागाह क्षेत्र के क्षेत्रफल में मामूली परिवर्तन हुआ है। जहां कृषि योग्य बंजर भूमि, वर्तमान परती भूमि, कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग भूमि एवं शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, वहीं वन क्षेत्र, अन्य परती भूमि, ऊसर एवं कृषि में अयोग्य भूमि, चारागाह भूमि, उद्यान वृक्षों एवं झाड़ियों के क्षेत्रफल एवं में कमी आयी है। इन कमियों का कारण तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृष्येत्तर कार्यो जैसे नगर, कस्बों में विस्तार, सड़कों का निर्माण एवं अन्य कृषि के अतिरिक्त आर्थिक क्रियाकलापों में भूमि के उपयोग में वृद्धि है। इस कमी का दूर करने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधानों, कृषि नवाचारों को अपनाने एवं भूमि उपयोग प्रबन्धन को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है।

संदर्भ सूची

1. कुमार, अमित एवं तिवारी मीता रतावा (2023), विकासखण्ड बहादुरपुर में भूमि उपयोग परिवर्तनः एक भौगोलिक विश्लेषण, प्रतिभा, रिसर्च जनरल ऑफ ह्यूमनटीज, वर्ष 15, अंक 1–2, पार्ट 58–59, जनवरी से जून.
2. गौतम, पी0के0 एवं शर्मा, वी0एन0, (2012), जपनद महराजगंज (उ0प्र0) में भूमि उपयोग परिवर्तनः एक भौगोलिक विश्लेषण, *राष्ट्रीय भौगोलिक पत्रिका*, वर्ष 3, अंक 2, पृ0 41–54.
3. यादव विकास, (2018), जनपद जौनपुर में भूमि उपयोगः एक भौगोलिक समीक्षा, *राष्ट्रीय भौगोलिक पत्रिका*, वर्ष 9, अंक 2, दिसम्बर, पृ0 206–214.
4. सिंह, पी०के० व सिंह, रागिनी, (2010), सुलतानपुर जिले के अमेठी तहसील के भूमि उपयोग में परिवर्तन, उत्तर भारत भूगोल पत्रिका, अंक 40 संख्या 4 पेज सं० 37–40.
5. सिंह संदीप कुमार एवं प्रसाद, ओंकार (2011), भूमि उपयोग परिवर्तन एवं ग्रामीण विकास– बड़ागांव विकासखण्ड का एक भौगोलिक अध्ययन, *उत्तर भारत भूगोल पत्रिका*, अंक 41,संख्या 1, पृ0 47–52.
6. श्रीवास्तव, दीपिका, मौर्या, अर्चना एवं सिंह, शेर, (2008), संतरविदास नगर (भदोही) में भूमि उपयोग नियोजन, उत्तर भारत भूगोल पत्रिका, अंक 38, संख्या 4, पेज सं० 10–13.

7- Census of India, (1995 & 2023), District Cencus Handbook, Kushinagar, Series-10.

8- Chatterjee, S. P. (1945), Land Utilazation in The District 24-Paraganas, *Geographical Review of India*, Kolkata 14(3), pp.12-23.

9- Chatterjee, S. P. (1945), Land Utilazation in The District 24-Paraganas, *Geographical Review of India*, Kolkata 14(3), pp.12-23.

10- Coppock, 1. T. (1964), An Agricultural Atlas of England and Wales, Feber and Feber, London.

11- https://kushinagar.nic.in/

12- Prasad, Puspa (2006), Land Use Change and Environmental Degradation in Dhanbad District: A Geographical Study, Ph.D. Thesis, Department of Geography, BHU.

13- Safi. M. (1960), Land Utilization of Eastern U.P., *Aligrh University*, Aligarh.p.17.

14- Saure, C. O. (1919), Mapping and Utilization of Land, *Geographical Review*-4

15- Shafi, M. (1961), Land Utilization of Eastern U.P., Aligarh Muslim University, Aligarh.

16- Singh, U. (1955), A Sample Study in Land Utilization near Sarnath (Banaras), N.G.J.I. Vol. I, Pt. 1, pp 47-50.

17- Singh, V. R. (1962), Land Utilization in the Neighbourhood of Mirzapur Distt., Ph.D. Thesis in Geography, B.H.U., Varanasi.

18- Stamp, L. D. (1931), The Land Utilization Survey of Britain, *Geographical Journal*.78 pp.40-5